भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 620
गुरूवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उज्जैन के लिए हवाई यात्रा की सुविधा

620. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, सरकार द्वारा उज्जैन के लिए हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इंदौर विमानपत्तन से उज्जैन तक तीव्र एवं सुविधाजनक परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इंदौर विमानपत्तन से उज्जैन के लिए सीधी और द्रुतगामी बस अथवा टैक्सी सेवा की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख) मध्य प्रदेश (एमपी) में उज्जैन हवाईपट्टी, क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़े देश का आम नागरिक (आरसीएस-उड़ान) में असेवित हवाई पट्टियों की सूची में उपलब्ध है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, असेवित और अल्प सेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन, वैध बोली के माध्यम से इसकी पहचान करने और एसएओ (चयनित एयरलाइन ऑपरेटर) को अवार्ड करने के पश्चात किया जाएगा। विशेष रूप से छोटे विमानों (20 सीटर और उससे कम के विमान) के लिए उड़ान योजना की 5.2 दौर की बोली प्रक्रिया के दौरान, 8-सीटर प्रकार के विमानों के साथ उज्जैन को भोपाल से जोड़ने वाले मार्ग के लिए बोली प्राप्त हुई थी। तथापि, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 21.02.2024 के अपने पत्र के माध्यम से उज्जैन को उड़ान योजना 5.2 के तहत विकसित करने के लिए सहमति नहीं दी है, जिसमें कहा गया है कि इसे एक बड़े हवाईअड्डे के रूप में विकसित करने के लिए पहले ही एक अलग प्रस्ताव भेजा गया था। इसलिए, उज्जैन से संबंधित बोलियों पर अवार्ड हेतु विचार नहीं किया गया था।

मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 04.11.2024 के अपने अद्यतन पत्र के तहत आईएफआर, ए320 प्रकार के विकास के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की है और आगे उल्लेख किया है कि एएआई (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) निष्पादन प्राधिकरण होगा और व्यक्त किया कि जब कभी आवश्यक होगा एएआई द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के साथ अपेक्षित समझौता ज्ञापन/समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ग) और (घ) नागर विमानन मंत्रालय में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

******